जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 17.08.2024***

शान्ति भंग (170 / 126 / 135 बीएनएसएस) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3310 द्वारा मीरपीट/विवाद में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3310 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत डिहवा से इवेन्ट संख्या 31280 से कालर द्वारा किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के कारण 01 महिला (1-अंजु पत्नी रघुवंश निवासी डिहवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए महिला को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए महिला को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 अरविन्द कुमार मिश्र, हो0चा0 शशिकान्त।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 121 वाहनों से 1,65,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.08.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 121 वाहनों से 1,65,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 17.08.2024

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बेलहरकला ***श्री जितेन्द्र कुमार यादव*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 144/2024 धारा 363, 366, 376(2)(n) भा0द0वि0 व 3(2)(v), 3(2)(v)क एससी/एसटी एक्ट व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता राधेश्याम निषाद पुत्र राजकुमार निषाद निवासी पिपरपाती थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 17.08.2024 क बेलहरकला रोड के निकट स्थित दुर्गा मन्दिर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 13.06.2024 को थाना बेलहरकला पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर साक्ष्य संकलन करते हुए मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रविन्द नाथ शर्मा, हे0कां0 सुशील कुमार यादन, कां0 विकास साहनी, का ओमप्रकाश चौरसिया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 17.08.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार पीड़िता/बरामद

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** मु0अ0सं0 626/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस के मामले मे वांछित अभियुक्त शहनवाज उर्फ गोलू पुत्र विफई उर्फ बल्ली निवासी बन्जरिया पश्चिमी थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 16.08.2024 को मगहर के पास हाईवे के किनारे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 15.08.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री मनीष कुमार जयसवाल, म0का0 पुनीता गौतम, हे0का0 सम्पुर्णानन्द, का0 अनिल प्रसाद।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 17.08.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 04 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 17.08.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 04 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।